राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान

क्रमांकः एफ.3 (ई) (R- 246/2011) अलेसे-II/ दिनांक :- 04/05/2017

कार्यालय आदेश

श्री रविकांत थानवी (लिंक नंबर 9540), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय परियोजना प्रबंधक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जैसलमेर की नियुक्ति विभागीय आदेश संख्या 306/12-13 दिनांक 13.03.2013 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-6 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी लेखाकार के रूप में की गई थी। श्री थानवी द्वारा उक्त आदेशों की पालना में दिनांक 21.03.2013 को कार्यग्रहण किया गया। परिवीक्षाकाल में श्री थानवी का कार्य संतोषजनक नहीं होने व कर्त्तव्य से बार-बार स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 33(1) के अनुसरण में श्री थानवी की परिवीक्षा-प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष (दिनांक 20.03.2016 तक) इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 504-509 दिनांक 14.06.2016 के द्वारा बढाई गई थी।

तत्पश्चात् श्री थानवी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 33 (2) के अनुसरण में आदेश क्रमांक 1932 दिनांक 24.01.2017 के द्वारा श्री थानवी की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि दिनांक 30.06.2017 तक बढाई गई।

श्री थानवी को अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जैसलमेर के आदेश क्रमांक एफ.( ) डब्ल्यूसीडीसी/जैसल/2015-16/3147 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा कार्यमुक्त कर इस निदेशायल में उपस्थिति देने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे तथा इस निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ.3 (ख) (आर-246/2011) अलेसे-II/25547-25553 दिनांक 29.01.2016 के द्वारा श्री थानवी को कार्यालय अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जैसलमेर में अविलम्ब कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक वाटर शेड सैल कम डाटा सेन्टर जैसलमेर ने अपने पत्र कमांक : एफ ( )डब्ल्यूसीडीसी/ जैसल/2017-18/109 दिनांक 20.04.2017 द्वारा अवगत कराया है कि श्री थानवी उनके कार्यालय में लगातार अनुपस्थित है तथा आदिनांक तक श्री थानवी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री थानवी स्वैच्छा से दिनांक 29.01.2016 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं।

अतः वित (नियम) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.1 (4)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 12.01.2017 के क्रम में श्री रविकांत थानवी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि से स्वैच्छा से बिना अनुमति अपने कर्तव्य से अनुपस्थित चल रहे है, का स्वैच्छा से राज्य सेवा से त्याग पत्र मानते हुए श्री थानवी को राज्य सेवा से तुरन्त प्रभाव से सेवोन्मुक्त किया जाता है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.3 (ई) (R- 246/2011) अलेसे-II/ 251 दिनांक :- 04/05/2017

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
3. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भ-संरक्षण राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना प्रबंधक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, जिला परिषद, जैसलमेर को उनके पत्र क्रमांक 109 दिनांक 20.04.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री थानवी की सेवा पुस्तिका में उक्त आदेश का इन्द्राज लाल स्याही से करावें।
5. वित्तीय सलाहकार, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान, जयपुर।
6. श्री रविकांत थानवी, स.ले.अ.ग्रेड-II, परियोजना प्रबंधक, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण,, जिला परिषद जैसलमेर/ द्वारा खाबेडी छंगाणी गली, काश नदी, बीकानेर (राजस्थान) 334005
7. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन शीट

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)